(अ)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 240 / 2023
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

इन्द्राज सहारण पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)

वादी

विरूद्ध

1. बहादुरराम पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ। (राज.)
2. रेशमी देवी पत्नी स्व. बलराम पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)
3. रामकुमार पुत्र स्व. बलराम पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)
4. वेदप्रकाश पुत्र स्व. बलराम पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)
5. रा[illegible] पुत्री स्व. बलराम पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)
6. [illegible]थरी पुत्री स्व. बलराम पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)
7. माया पुत्री स्व. बलराम पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)
8. विनोद देवी पत्नी स्व. मदनलाल पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)
9. राकेश कुमार पुत्र स्व. मदनलाल पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)
10. प्रमिला पुत्री स्व. मदनलाल पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)
11. विनोद कुमार पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)
12. दलीप पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)
13. जगदीश पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)
14. कलावती देवी पुत्री स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)
15. विमला देवी पुत्री स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)
16. सुमेश्ता पुत्री स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)
17. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.08.06 13:33:5
Reason: SelfAttested

उपस्थित :–
1– श्री संजय धारणियां वकील वादी
2– श्री बलवन्त झोरड़ – वकील प्रति सं. 1 ता 16
3– तहसीलदार राजस्व संगरिया– राज–पैरोकार प्रति.संख्या 17

निर्णय दिनांक :–

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(58)

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 16 एक ही हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 16 के संयुक्त परिवार की सांझा कृषि भूमि जो कि वर्तमान में वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 16 के पिता/ससुर/दादा स्व मनीराम पुत्र सुखराम के नाम से चक 3 ए.एम.पी. के खाता सं. 166/126 में 1/10 हिस्सा अर्थात 0.506है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 16 की हिन्दु संयुक्त परिवार सहदायिकी सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 16 ने वाद-पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि का घरू विभाजन हिस्सा अनुसार कर रखा है। घरू विभाजन में वादी को 0.506है. कृषि भूमिं प्राप्त हुई है घरू विभाजन के अनुसार ही वादी उपरोक्त कृषि भूमि अपने नाम से घोषित करवाने व खातेदार काश्तकार मनीराम पुत्र सुखराम का नाम कलमजन करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। घरू विभाजन अनुसार वादी मौका पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है। वादी मौका पर वाद-पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार ही काबिज है कब्जा काश्त बाबत् किसी तरह का कोई विवाद नहीं है लेकिन राजस्व रिकार्ड में कब्जा अनुसार घोषणा न होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारो पर बुरा असर पड़ता है व सींव बट को लेकर आऐ दिन विवाद बना रहता है व रकम राज वाटरमेन्ट शुल्क आदि राज्य सरकार को अदा करने में कठिनाईया आती है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा की आप विवाद ग्रस्त आराजी का वादी को दावा की चरण सं. 3 व 4 के अनुसार कृषि भूमि की घोषणा होना मान लो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटौल करते रहे लेकिन अंत में पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण, वादी की बात मानने से कतई तौर पर इन्कार हो गये यही वाद कारण है।

लिहाजा वाद वादी निम्नप्रकार डिक्री फरमाया जावे कि वादी को चक 3 ए.एम. पी के खाता संख्या 166/126 में 0.506 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर मनीराम पुत्र सुखराम का नाम कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिर्गदार की रिपोर्ट ली गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने जरिये अधिवक्ता अपना जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 17 स्टेट की और से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी इन्द्राज सहारण ने अपना शपत्र पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.08.06 13:33:52
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादी ने फार्म नं. 3 के साथ चक 3 एएमपी खाता सं. 166/126 ज.सं. 2072–2075 जमाबंदी प्रमाणित प्रस्तुत की गई है। (59)

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 3 एएमपी खाता सं. 166/126 ज.सं. 2072–2075 मे मनीराम पुत्र सुखराम के नाम दर्ज जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी निवेदन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी चक 3 एएमपी खाता सं. 166/126 ज.सं. 2072–2075 मे मनीराम पुत्र सुखराम के नाम दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा/पैतृक सम्पति के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– चक 3 ए.एम.पी. के खाता सं. 166/126 खाता जगदीश कुमार वगैरा ज.सं. 2072–75 में मनीराम पुत्र सुखराम के नाम दर्ज आराजी का वादी इन्द्राज सहारण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मनीराम पुत्र सुखराम का नाम कलमजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.08.06 13:33:52
Reason: SelfAttested

(30)

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए
प्रकरण संख्या:– 240/2023

इन्द्राज सहारण पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)

– वादी

विरूद्ध

1. बहादुरराम पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ। (राज.)
2. रेशमी देवी पत्नी स्व. बलराम पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)
3. रामकुमार पुत्र स्व. बलराम पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)
4. वेदप्रकाश पुत्र स्व. बलराम पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)
5. सरोज पुत्री स्व. बलराम पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)
6. [illegible]री पुत्री स्व. बलराम पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)
7. माया पुत्री स्व. बलराम पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)
8. विनोद देवी पत्नी स्व. मदनलाल पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)
9. राकेश कुमार पुत्र स्व. मदनलाल पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)
10. प्रमिला पुत्री स्व. मदनलाल पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)
11. विनोद कुमार पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)
12. दलीप पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)
13. जगदीश पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)
14. कलावती देवी पुत्री स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)
15. विमला देवी पुत्री स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)
16. सुमेश्ता पुत्री स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ । (राज.)
17. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.08.06 13:33:5
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(31)

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री संजय धारणियां वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री बलवन्त झोरड़ वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है:– चक 3 ए. एम.पी. के खाता सं. 166/126 खाता जगदीश कुमार वगैरा ज.सं. 2072–75 में मनीराम पुत्र सुखराम के नाम दर्ज आराजी का वादी इन्द्राज सहारण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मनीराम पुत्र सुखराम का नाम कलमजन किये जाने का आदेश किया जाता है।

नोट :– यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर ही राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज...X...नल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत्...X...निल...X...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक...X... अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.07.2024 को जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.08.06 13:33:52
Reason: SelfAttested